न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–278 सन् 2022
राज्य बनाम झिंगई सोनकर

अन्तर्गत धारा–272, 273 भा0दं0सं0 एवं
धारा 60 आबकारी अधिनियम
थाना–को0 देहात, जिला–मीरजापुर।
मु0अ0सं0–740 सन् 2010

आरोप

मैं रचना अरोड़ा, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मिर्जापुर आप अभियुक्त झिंगई सोनकर को निम्न आरोपों से आरोपित करती हूॅ–

1. यह कि दिनांक 03.10.2010 को समय लगभग 02.45 बजे वहद्स्थान पी0ए0सी0 मोड़ वहद्ग्राम हनुमान पड़रा थाना को0 देहात जिला मीरजापुर में आपके कब्जे से 5 लीटर अवैध शराब, जो यूरिया व इथाईल अल्कोहल का अपमिश्रण करके तैयार किया गया था एवं मानव प्रयोग के लिए क्षेमकारक था, बरामद हुआ। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपके कब्जे से 5 लीटर अवैध शराब के विश्लेषण में इथाईल अल्कोहल एवं यूरिया का मिश्रण पाया गया, जिसे आपने यह जानते हुए तैयार किया कि इस शराब का उपयोग विक्रय के उद्देश्य से किया जाएगा। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 273 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपके कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देश देती हूॅ कि उपरोक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक–23.08.2022

(रचना अरोड़ा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मॉग किया।

दिनांक–23.08.2022

(रचना अरोड़ा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–278 सन् 2022

राज्य बनाम झिंगई सोनकर

अन्तर्गत धारा–272, 273 भा0दं0सं0 एवं
धारा 60 आबकारी अधिनियम
थाना–को0 देहात, जिला–मीरजापुर।
मु0अ0सं0–740 सन् 2010

<u>दिनॉक–23.08.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त झिंगई सोनकर व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित।

मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को आरोप सृजित किए जाने के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त झिंगई सोनकर के विरूद्ध धारा 272, 273 भा0दं0सं0 तथा धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त झिंगई सोनकर के विरूद्ध धारा 272, 273 भा0दं0सं0 तथा धारा 60 आबकारी अधिनियम का आरोप लगाया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की मॉग किया।

पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 23.09.2022 को पेश हो। अभियोजन पक्ष अपना साक्ष्य पेश करें।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।